**संख्या-39/2018-1419/58-2018-118/2016**

प्रेषक,

**सुधीर गर्ग,**
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**उद्यान अनुभाग** **लखनऊः दिनांक 26 जून, 2018**

**विषयः** **वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं यथा एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों हेतु औद्यानिक विकास एवं अन्य विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत डी0बी0टी0 के माध्यम से क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29/डी0बी0टी0/आई0टी0सेल/2018-19/लखनऊ, दिनांक 21 मई 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं यथा एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, अनुसूचित जाति एव जनजाति कृषको हेतु औद्यानिक विकास एवं अन्य विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत डी0बी0टी0 के माध्यम से क्रियान्यवन के सम्बन्ध में प्रस्ताव के संबंध में अवगत कराया है कि विगत वर्ष 2017-18 में निर्गत शासनादेश संख्या-14/2017-1348/58-2017-118/2016 दिनांक 10.07.2017 द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में रोपण सामग्री एवं अन्य सामग्री आवश्यक औद्यानिक कृषि निवेशों पर देय अनुदान प्रदेश के पंजीकृत/चयनित कृषकों को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से कृषकों को बैंक खाते में सीधे आर0टी0जी0एस0 के द्वारा स्थानान्तरित किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये थे, के कतिपय बिन्दुओं पर आंशिक संशोधन करते हुये सम्मय विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु निम्नवत व्यवस्था प्रस्तावित की जाती है:-

**01- पुष्प के बीज/बल्ब/कार्म की व्यवस्था-**

**ग्लैडियोलस कार्म/रजनीगंधा बल्ब, गुलाब एवं गेंदा बीज की व्यवस्था-**

टी0एस0जी0 द्वारा ग्लैडियोलस कार्म/रजनीगंधा बल्ब, गुलाब एवं गेंदा बीज की संस्तुत प्रजातियों के रोपण सामग्री कार्म/बीज/बल्ब का क्रय पंजीकृत/चयनित कृषकों द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार के संस्थानों/पंजीकृत/लाइसेन्सधारी बीज विक्रेताओं जो वाणिज्य कर विभाग, कृषि विभाग से कार्म/बीज/बल्ब विक्रय हेतु पंजीकृत हों, से स्वेच्छानुसार एम0आर0पी0 से अनधिक दरों (आवेदित क्षेत्रफल हेतु निर्धारित मात्रा की रोपण सामग्री) पर नकद मूल्य पर क्रय किया जायेगा। लाभार्थी कृषक द्वारा कार्म/बीज/बल्ब क्रय रसीद सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त लाभार्थी कृषक से भुगतान का विकल्प प्राप्त कर निम्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर अनुदान का भुगतान किया जायेगा:-

1. कृषक द्वारा स्वयं के व्यय पर कार्य पूर्ण करने पर अनुदान सहायता संबन्धित हितग्राही के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा।

**अथवा**

2. कृषक द्वारा बैंक के माध्यम से ऋण लेकर कार्य पूर्ण करने पर संबन्धित के बैंक ऋण खाते में अनुदान भुगतान किया जा सकेगा।

**02- संरक्षित खेती**

(i) योजनान्तर्गत शेडनेट, पालीग्रीन हाउस (नेचुरली बेन्टीलेटेड ट्यूबलर स्ट्रक्चर) हेतु चयनित लाभार्थी कृषकों द्वारा प्रयोजन प्रस्ताव निर्धारित रूप पत्र पर सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को प्रस्तुत किया जायेगा। सक्षम स्तर से परियोजना प्रस्ताव का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त होने पर लाभार्थी कृषकों द्वारा भारत सरकार के निर्धारित मानकों पर अपनी स्वेच्छानुसार इरेक्शनकर्ता से निर्माण कराया जायेगा। स्थापित स्ट्रक्चर का एम0आई0डी0एच0 योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप निदेशालय से गठित समिति द्वारा सत्यापन किया जायेगा। मानक के अनुरूप पाये जाने पर धनराशि रू0-10.00 लाख की सीमा तक भुगतान सम्बन्धित जनपद के जिला औद्यानिक मिशन (डी0एच0एम0) तथा धनराशि रू0-10.00 लाख से अधिक धनराशि की सीमा का भुगतान राज्य औद्यानिक मिशन (एस0एच0एम0) के द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा।

http://shisanadesh.up.nic.in

(ii) योजनान्तर्गत इम्पैनल्ड इरेक्शनकर्ता में से किसी से भी शेडनेट, पालीग्रीन हाउस (नेचुरली बेन्टीलेटेड ट्यूबलर स्ट्रक्चर) का इरेक्शन/स्थापना कराने हेतु लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होगा और इरेक्शनकर्ता फर्मों की स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर किसी भी इरेक्शनकर्ता फर्म से निर्माण/स्थापना का कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त लाभार्थी कृषक से भुगतान का विकल्प प्राप्त कर निम्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर अनुदान का भुगतान किया जायेगा:-

1, कृषक द्वारा स्वयं के व्यय पर कार्य पूर्ण करने पर अनुदान सहायता संबन्धित हितग्राही के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा।

**अथवा**

2, कृषक द्वारा बैंक के माध्यम से ऋण लेकर कार्य पूर्ण करने पर संबन्धित के बैंक ऋण खाते में अनुदान भुगतान किया जा सकेगा।

**<u>03-प्लास्टिक क्रेट्स की व्यवस्था-</u>**

विभाग में संचालित विभिन्न योजनान्तर्गत प्लास्टिक क्रेट्स की व्यवस्था शाकभाजी उत्पादन एवं प्रबन्धन योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बी0आई0एस0 स्टैन्डर्ड प्राप्त मूल उत्पादक फर्म/कम्पनी/संस्था/डीलर/ डिस्ट्रीब्यूटर से ई0ओ0आई0/ई0-निविदा के माध्यम से न्यूनतम दरें प्राप्त करते हुए इम्पैनल्डमेन्ट किया जायेगा। पंजीकृत/चयनित लाभार्थी कृषक द्वारा अपनी स्वेच्छानुसार इम्पैनल्ड संस्था से निर्धारित दर पर मानक के अनुसार नगद मूल्य पर प्लास्टिक क्रेट्स का क्रय किया जायेगा। लाभार्थी कृषक द्वारा प्लास्टिक क्रेट्स क्रय रसीद सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित जनपद के जनपदीय उद्यान अधिकारी/अधीनस्थ उद्यान कर्मियों के द्वारा सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन के उपरान्त लाभार्थी कृषक से भुगतान का विकल्प प्राप्त कर निम्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर अनुदान का भुगतान किया जायेगा:-

1, कृषक द्वारा स्वयं के व्यय पर कार्य पूर्ण करने पर अनुदान सहायता संबन्धित हितग्राही के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा।

**अथवा**

2, कृषक द्वारा बैंक के माध्यम से ऋण लेकर कार्य पूर्ण करने पर संबन्धित के बैंक ऋण खाते में अनुदान भुगतान किया जा सकेगा।

**<u>04- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) -</u>**

(i) योजनान्तर्गत आनलाइन पंजीकृत कृषकों को प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर उपयुक्तता के अनुसार सूचीबद्ध करते हुए चयनित किया जायेगा।

(ii) योजनान्तर्गत पंजीकृत निर्माता फर्मों में से किसी से भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होगा। निर्माता फर्मों की स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर किसी भी निर्माता फर्म/अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स से आपूर्ति/स्थापना का कार्य कराया जायेगा। लाभार्थी से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति की संतोषजनक रिपोर्ट एवं लाभार्थी कृषक से भुगतान का विकल्प प्राप्त कर निम्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर अनुदान का भुगतान किया जायेगा:-

1, कृषक द्वारा स्वयं के व्यय पर कार्य पूर्ण करने पर अनुदान सहायता संबन्धित हितग्राही के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा।

**अथवा**

2, कृषक द्वारा बैंक के माध्यम से ऋण लेकर कार्य पूर्ण करने पर संबन्धित के बैंक ऋण खाते में अनुदान भुगतान किया जा सकेगा।

**<u>05-औषधीय पौध मिशन-</u>**

औषधीय पौधों की रोपण सामग्री आयुष विभाग द्वारा विकसित पौधशालाओं, सीमैप लखनऊ, कृषि विश्वविद्यालयों, केन्द्र सरकार के शोध संस्थानों तथा आयुष उद्योगों की पौधशालाओं से पंजीकृत/चयनित कृषकों द्वारा स्वेच्छानुसार नगद मूल्य पर क्रय किया जायेगा।

उपरोक्त संस्थाओं में अनुपलब्धता की दशा में पंजीकृत/लाइसेंसधारी बीज विक्रेताओं/पंजीकृत सहकारी समितियों से स्वेच्छानुसार नगद मूल्य पर क्रय किया जा सकेगा। नगद मूल्य पर क्रय किये गये बीज की रसीद चयनित कृषक द्वारा सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। तद्क्रम में जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर गठित सत्यापन समिति से आवेदित क्षेत्रफल के सत्यापन के उपरान्त वास्तविक क्षेत्रफल हेतु अनुमन्य अनुदान की सीमान्तर्गत चयनित कृषकों के बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से धनराशि अन्तरित की जायेगी।

**<u>06- उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी कार्यवाही अपेक्षित है:-</u>**

i प्रदेश के इच्छुक कृषक पारदर्शी किसान सेवा योजनान्तर्गत कृषि विभाग द्वारा विकसित पोर्टल पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं के अनुसार अपना पंजीकरण कृषक लोकवाणी/सामान्य सुविधा केन्द्र/साइवर कैफे अथवा सम्बन्धित जनपद के जनपदीय उद्यान अधिकारी के सहयोग से पंजीकरण का कार्य पूर्ण करा सकेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

ii कृषक को अपने आवश्यक अभिलेख यथा- आधार कार्ड, खतौनी एवं बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ/कैंसिल्ड चेक की प्रति सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी को पंजीकरण की तिथि के सात कार्य दिवस में भीतर उपलब्ध करानी होगी। सभी दस्तावेजों की पुष्टि होने के पश्चात् ही अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

iii कार्यक्रम/फसल विशेष के लिए पंजीकृत कृषकों को श्रेणीवार ''प्रथम आवक-प्रथम पावक'' के आधार पर जनपद स्तर पर कार्यक्रम/फसल विशेष के लिए योजना के दिशा-निर्देशों में अधिकतम् अनुमन्य क्षेत्रफल की सीमा के अन्तर्गत आवेदित क्षेत्रफल के लिए अनुमन्य अनुदान की सीमा तक ही अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

iv चयनित प्रत्येक लाभार्थी को योजनान्तर्गत कार्यक्रम/ फसल विशेष के लिए योजनाओं के दिशा-निर्देशानुसार ही चयनित करना होगा। किसी भी दशा में द्विरावृत्ति नहीं की जायेगी। योजनान्तर्गत अधिकतम् अनुमन्य क्षेत्रफल की सीमा तक लाभ किश्तों में लिए जाने को द्विरावृत्ति नहीं माना जायेगा।

v चयनित लाभार्थी कृषक द्वारा स्वेच्छानुसार क्रय की गयी रोपण सामग्री एवं अन्य सामग्रियों का जमाव/परफारमेन्स/गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित फर्म/संस्था के विरुद्ध नियमानुसार ब्लैकलिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

vi योजनाओं का क्रियान्वयन डी0बी0टी0 के माध्यम से कराये जाने हेतु कृषि विभाग, उ0प्र0 द्वारा विकसित पोर्टल का प्रयोग किया जायेगा, जिसमें उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 की कार्ययोजनाओं के अनुरूप यथा आवश्यक संशोधन/परिवर्तन कराया जायेगा। प्रदेश के 18 मण्डलों के उप निदेशक उद्यान एवं 75 जनपदों के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी कृषि विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये लॉगिन पासवर्ड का उपयोग करते हुए इस साफ्टवेयर के प्रयोग हेतु अधिकृत होंगे।

vii योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा, ताकि प्रदेश के इच्छुक अधिक से अधिक कृषक इन योजनाओं का लाभ उठा सके।

viii उद्यान विभाग के कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश के इच्छुक कृषकों के पंजीकरण एवं वितरण हेतु कृषि विभाग द्वारा लागिन (Login) एवं पासवर्ड उद्यान विभाग के अधिकारियों को दिया जा चुका है, परन्तु पूर्व से पंजीकृत कृषकों के विवरण/डी0बी0टी0 भुगतान में यदि किसी प्रकार की त्रुटि/परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो उसके निस्तारण/परिवर्तन का अधिकार उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को कृषि विभाग द्वारा प्रदत्त किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं में रोपण सामग्री एवं अन्य कृषि निवेशों पर देय अनुदान प्रदेश के पंजीकृत/चयनित कृषकों को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में सीधे भुगतान किये जाने/उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रक्रिया वित्त वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 हेतु जारी क्रमशः शासनादेश संख्या-28/2016-912/ 58-2016-118/2016 दिनांक 07.04.2016 एवं शासनादेश संख्या-14/2017-1348/ 58-2017- 118/2016 दिनांक 10.07.2017 में निधारित प्रक्रिया के अनुरूप यथावत लागू रहेगी।

भवदीय,

**(सुधीर गर्ग)**
प्रमुख सचिव।

**संख्या-39/2018-1419(1)/58-2018, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव कृषि विभाग, उ0प्र0शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0शासन।
6. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0लखनऊ ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।
9. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(इन्दुबाला कटियार)**
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in